रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 1992/भाद्र 31, 1914
No. 621] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 1992/BHADRA 31, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1992

का.आ. 701 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.—

आदेश

श्री हर्ष वर्धन भूतपूर्व संसद सदस्य ने 12 अगस्त, 1991 को एक ज्ञापन फाइल किया जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि लोक सभा के आसीन सदस्य श्री पंकज चौधरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (घ) के अधीन निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हित नहीं थे,

और भारत के राष्ट्रपति ने उक्त ज्ञापन के प्रतिनिर्देश से संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी,

और निर्वाचन आयोग की राय है (उपाबंध देखिए) कि श्री हर्षवर्धन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति की अधिकारिता का अवलंबन नहीं लिया जा सकता है,

अतः अब मैं शंकर दयाल शर्मा भारत का राष्ट्रपति उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त श्री हर्ष वर्धन का ज्ञापन खारिज करता हूं।

14 सितम्बर 1992

भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1991 का निर्देश मामला स 1

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश)

निर्देश में लोक सभा के आसीन सदस्य श्री पंकज चौधरी की अभिकथित निरर्हता।

राय

1 यह श्री हर्ष वर्धन भूतपूर्व संसद् सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित तारीख 12 अगस्त 1991 के ज्ञापन की प्रति "समुचित कार्रवाई के लिए" अग्रेषित करने वाला राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त तारीख 16 अगस्त 1991 का निर्देश है।

2. उक्त ज्ञापन में श्री हर्ष वर्धन ने यह अभिकथन किया है कि श्री पंकज चौधरी जो हाल में हुए साधारण निर्वाचन में उत्तर प्रदेश के महराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विद्यमान लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं "भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (घ) के अधीन निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हित नहीं है क्योंकि वह भारत के नागरिक नहीं हैं और वह नेपाल के नागरिक हैं।" अपने अभिकथन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने ज्ञापन के साथ नेपाल के कपिलवस्तु जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के कुछ दस्तावेज संलग्न किए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से प्रार्थना की है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे "श्री पंकज चौधरी का निर्वाचन अपास्त कर दें और संविधान की भावना को बनाए रखने के लिए अन्य निर्देश दें जो वे ठीक समझें।"

3. उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि श्री हर्ष वर्धन का अपना तर्क यह है कि श्री पंकज चौधरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (घ) के अधीन निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हित नहीं थे या वे जो कहना चाहते हैं वह यह है कि श्री चौधरी उक्त अनुच्छेद के अधीन निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित थे। उनके प्रकथन से यह स्पष्ट है कि यदि श्री पंकज चौधरी पूर्वोक्त निरर्हता से ग्रस्त थे भी तो वह उस समय थे जब उन्होंने लोकसभा का पिछला साधारण निर्वाचन लड़ा था। इस प्रकार वह निरर्हता जिससे ग्रस्त होने का अभिकथन किया गया है वह तारीख 19-6-91 को उनके निर्वाचन के दिन और उसके पूर्व विद्यमान थी। दूसरे शब्दों में यदि यह मामला निरर्हता का भी है तो यह निर्वाचन पूर्व निरर्हता का है और यह ऐसी निरर्हता का नहीं है जिससे वह जून 1991 में हुए पूर्वोक्त निर्वाचन के पश्चात् अधीन या ग्रस्त हो गए।

4. यह पहले से परिनिर्धारित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को निरर्हता के केवल ऐसे मामलों में विनिश्चय करने की अधिकारिता है जिसमें संसद् का कोई आसीन सदस्य निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग को अभिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांच करने की आयोग की अधिकारिता भी उस दशा में उत्पन्न होती है जब मामला निर्वाचनोत्तर निरर्हता का हो। निर्वाचन पूर्व निरर्हता का प्रश्न अर्थात् वह निरर्हता जिससे कोई व्यक्ति निर्वाचन के पूर्व किसी समय ग्रस्त था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के अधीन निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही उठाया जा सकता है किसी अन्य रीति में नहीं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकट राव—1953 एस सी आर 1144 बृंदावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग—ए आई आर 1965 एस सी 1978 और निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा—ए आई आर 1978 एस सी 1609 वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

5. विधि के उपरोक्त परिनिर्धारित प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति की अधिकारिता का अवलंब श्री पंकज चौधरी की अभिकथित निरर्हता के संबंध में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनके (श्री हर्ष वर्धन) के प्रकथन के अनुसार श्री पंकज चौधरी 19 जून, 1991 को अपने निर्वाचन के दिन और उसके पूर्व अभिकथित निरर्हता से ग्रस्त थे। तदनुसार निर्वाचन आयोग को भी श्री पंकज चौधरी की अभिकथित निरर्हता के उक्त प्रश्न की जांच करने की अधिकारिता नहीं है।

6. आयोग द्वारा राष्ट्रपति और कुछ राज्यों के राज्यपाल द्वारा बड़ी संख्या में आयोग को निर्दिष्ट किए गए मामलों में ऐसे ही विचार अभिव्यक्त किए हैं। उदाहरण के लिए 1989 के निर्देश मामला सं. 6 में जो संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां एक ब्रिटिश नागरिक था और उसे एक भारतीय नागरिक के रूप में दिखाने के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की गई थी जिसके आधार पर उसने 1985 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन लड़ा था। आयोग ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपनी राय भेज दी है कि संविधान के अनुच्छेद 192(1) के निबंधनों के अनुसार उपरोक्त प्रश्न उसके समक्ष उठाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह निर्वाचन-पूर्व निरर्हता से संबंधित था।

7. प्रस्तुत मामले को समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर संविधान के अनुच्छेद 103 (और राज्य विधान मंडल के सदस्यों से संबंधित अनुच्छेद 192 का तत्स्थानी उपबंधों) और अनुच्छेद 329(ख) के उपबंधों में अंतर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि श्री मनभाता सिंह और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चार अन्य सदस्यों के अभिकथित निरर्हता से संबंधित 1984 के निर्देश मामला सं 2 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजी गई आयोग की तारीख 29 अगस्त 1984 की रिपोर्ट में पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई सदस्य अपने निर्वाचन समय निरर्हता से ग्रस्त था और उसके सदन का सदस्य बन जाने के पश्चात् भी ऐसी निरर्हता से वह ग्रस्त बना रहता है किन्तु यदि ऐसी निरर्हता का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन के पश्चात् नियत समय के भीतर निर्वाचन अर्जी के माध्यम से उठाया नहीं गया है तो उस दशा में ऐसा कोई मंच नहीं है जिसके समक्ष संसद या राज्य विधान मंडल के किसी आसीन सदस्य के अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया जा सके। आयोग ने अपनी उस राय में यह बात भी स्पष्ट की थी कि यह संसद् पर निर्भर करता है कि वह अपने सामूहिक विवेक से ऐसे समुचित उपाय करे जो वह इस कमी को दूर करने के लिए विधिक रूप से आवश्यक समझे। उस राय की एक प्रति आयोग ने तारीख 12-11-84 के अपने पत्र सं. 113/उ.प्र./3/84–एल.एस.आई. द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय में केंद्रीय सरकार को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी है।

8. राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त निर्देश को उपरोक्त आशय की मेरी राय के साथ वापस भेजा जा रहा है।

(टी.एन. शेषन)
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

तारीख : 5 सितंबर 1991

[सं. 7/39/91–वि.-II]
पी.एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1992

S.O. 701(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a memorandum, dated 12th August, 1991, has been filed by Shri Harsh Vardhan, Ex-M.P., alleging that Shri Pankaj Chaudhary, a sitting member of the House of the People, was not qualified to contest the election under article 102(1)(d) of the Constitution of India;

And whereas, the President of India had sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said memorandum ;

And whereas, the Election Commission is of the opinion (vide Annexe) that the jurisdiction of the President of India under article 103(1) of the Constitution cannot be invoked by Shri Harsh Vardhan;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, do hereby dismiss the aforesaid memorandum of Shri Harsh Vardhan.

September, 14, 1992.

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference case No. 1 of 1991

(Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India)

In re : Alleged disqualification of Shri Pankaj Chaudhary, a sitting member of the House of the People.

OPINION

1. This is a Reference dated the 16th August, 1991 from the President's Secretariat forwarding "for appropriate action" a copy of the memorandum dated 12th August, 1991 addressed to the President of India by Shri Harsh Vardhan, Ex-Member of Parliament.

2. In the said memorandum, Shri Harsh Vardhan has alleged that Shri Pankaj Chaudhary who has been elected to the existing House of the People from Maharajganj Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh at the recently concluded general election "was not qualified to contest the election under Article 102(1)(d) of the Constitution of India, as he is not a citizen of India and is a citizen of Nepal". To substantiate his above allegation, he has annexed to his memorandum certain documents from some administrative authorities of the district of Kapilavastu in Nepal. He has prayed to the resident that in exercise of his powers under article 103 of the Constitution, he may "set aside the election of Shri Pankaj Chaudhary and give whatever other directions he may deem necessary to uphold the letter and spirit of the Constitution."

3. It will be observed from the above that Shri Harsh Vardhan's own case is that Shri Pankaj Chaudhary was not qualified to contest the election under Article 102(1)(d) of the Constitution of India or what he wants to say is that Shri Chaudhary was disqualified to contest the election under the said Article. It is apparent from his averment that Shri Pankaj Chaudhary was suffering, if at all, from the above-mentioned disqualification even at the time when he contested the last general election to the House of the People. Thus, the disqualification from which he was alleged to have been suffering subsisted prior to, and on the date of, his election on 19-6-91. In other words, it is a case of pre-election disqualification, if at all, and not of a disqualification which he incurred or to which he became subject after his aforesaid election in June, 1991.

4. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution, the President has the jurisdiction to decide only such questions of disqualification to which a sitting member of Parliament becomes subject after his election. The jurisdiction of the Commission to enquire into question of alleged disqualification on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution thus also arises only in cases of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, that is, disqualification from which a person was suffering at the time of or prior to his election, can be raised only by means of an election petition under Article 329(b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of the People Act, 1951 and in no other manner. Reference is invited in this connection to Supreme Court's decision in Election Commission vs. Saka Venkata Rao—1953 SCR 1144, Brundaban Naik vs. Election Commission—AIR 1965 SC 1892 and Election Commission vs. N.G. Ranga—AIR 1978 SC 1609.

5. Having regard to the above settled position of law, I am of the opinion that the jurisdiction of the President of India under Article 103(1) of the Constitution cannot be invoked by Shri Harsh Vardhan in relation to the alleged disqualification of Shri Pankaj Chaudhary as on his (Shri Harsh Vardhan's) own averments, Shri Pankaj Chaudhary was suffering from alleged disqualification at the time of, and prior to, his election to the Lok Sabha on 19th June, 1991. Accordingly, the Election Commission has also no jurisdiction to enquire into the above question of alleged disqualification of Shri Pankaj Chaudhary.

6. Similar view has been expressed by the Commission in a large number of cases referred to it by the President and Governors of certain States. For example, in reference case No. 6 of 1989 which was a reference received from the Governor of Uttar Pradesh under Article 192(2) of the Constitution, the question raised was whether Shri Raja Mohammad Amir Mohammad Khan was a British citizen and a bogus entry was made in the electoral roll to show him as an Indian citizen on the basis of which he contested election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly in 1985. The Commission conveyed its opinion to the Governor of Uttar Pradesh that the above question could not be raised before him in terms of Article 192(1) of the Constitution as it related to pre-election disqualification.

7. Before parting with the present case, I would once again like to invite the attention to the gap in the provisions of Article 103 (and corresponding provisions of Article 192 relating to members of State Legislatures) and Article 329(b) of the Constitution. As already pointed out in the Commission's Opinion dated 29th August, 1984 to the Governor of Uttar Pradesh in Reference Case No. 2 of 1984 regarding alleged disqualification of Shri Mandhata Singh and four other members of Uttar Pradesh Legislative Council, there is no forum before which the question of alleged disqualification of a sitting member of Parliament or State Legislature may be raised if the member was suffering from a disqualification at the time of his election and continuous to suffer from such disqualification even after his becoming member of the House but the question of such disqualification is not raised by means of an election petition within the stipulated period after the election in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951. The Commission also observed in that opinion that it was for Parliament, in its collective wisdom, to take appropriate measures as considered legally necessary to fill the lacuna. A copy of that opinion was forwarded for appropriate action to the Central Government in the Ministry of Law and Justice by the Commission by its letter No. 113|UP|3|84-LSI dated 12-11-84.

8. The Reference received from the Presidnt's Secretariat is returned with my opinion to the aforesaid effect.

T. N. SESHAN,
Chief Election Commissioner of India.

Dated 5th September, 1991.

[F. No. 7(39)|91-Leg.II]
P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992